न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण [illegible] बनाम विप्रार्थीगण [illegible]

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन संख्या 166 / 2022 दिनांक 11.10.2022

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर के मौजा रामदेरिया पश्चिम के खेत खसरा संख्या 23 रकबा 5.5280 हैक्टर (34.03 बीघा) के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करें। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कालबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक / मु.सा. / 2022 / 2047-52 दिनांक 11/10/22

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थीगण रावताराम पुत्र हेमाराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण उमा पुत्र केवा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा / चौहटन / बाखासर / बीजराड़ / धोरीमन्ना।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 17:00:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

[illegible] 2022 [illegible]

रामलाराम वगैरा बनाम उमा वगैरा

[illegible] अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी [illegible]

[illegible] वकील श्री [illegible]

निर्णय

प्रस्तुत प्रकरण मे संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण [illegible] है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर के मौजा रामदेरिया पश्चिम के खेत खसरा संख्या 23 रकबा [illegible] हैक्टेयर (34.03 बीघा) किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण [illegible] खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस मे स्थित होने के कारण बरसात के समय उक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण [illegible] सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का [illegible] करवाकर पत्थरगढ़ी पैमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने पैमाईश एवं नेखमबन्दी [illegible] का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को [illegible] नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 9 व 13 की ओर [illegible] पूर्व मे पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] प्रार्थीगण [illegible] सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया [illegible] किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के [illegible] को लेकर विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश [illegible] करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने [illegible] प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर विवादित भूमि तहसील सेडवा पटवार क्षेत्र बाखासर के मौजा रामदेरिया पश्चिम के खेत खसरा संख्या 23 रकबा 5.5280 हैक्ट (34.03 बीघा) किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पैमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौके स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible] सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 11.10.2022 को न्यायालय के खुले परिसर मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.11.05 17:00:00 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेडवा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी